न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 14/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
घेवरचन्द पुत्र चंदाराम दर्जी निवासी ग्राम मौखाब, तह0 शिव जिला बाड़मेर		1. खमाणाराम पुत्र मंगलाराम 2. नाथुराम पुत्र मंगलाराम 3. भूराराम पुत्र मंगलाराम 4. रेवताराम पुत्र मंगलाराम 5. भुराराम पुत्र चंदाराम (जातियान दर्जी, निवासीगण ग्राम मौखाब तह0 शिव, जिला बाडमेर) 6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिव जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शिव, राजस्व आवेदन संख्या 187/2021 दिनांक 18.07.2022

उपस्थित–

1. श्री रोशनलाल, वकील अपीलाण्ट
2. श्री राजेश भार्गव, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6

निर्णय

दिनांक 08.04.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 4–खमाणाराम वगैरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर तहसील शिव के ग्राम मौखाब कला स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 108, 201, 210, 98 रकबा क्रमशः 8.8545, 2.8166, 2.2662, 4.0388 हैक्टर तथा ग्राम पाबूमाली के खसरा नम्बर 568/268 रकबा 4.9453 हैक्टर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु विप्रार्थीगण 1 से 74–ओमाराम वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। जिसमें विप्रार्थी सं0 37 व 40 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, निर्णय दिनांक 18.07.2022 द्वारा तहसीलदार शिव को उल्लेखित खसरान की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–अप्रार्थी सं0 40–घेवरचंद ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में आदेशिका दिनांक 27.10.23 के अनुसार वकील अपीलांट द्वारा रेस्पो0 सं0 5 –भुराराम के सम्मन तामिली की कोई आवश्यकता नही बतायी गई, जिस पर रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नही की गई, लिहाजा इनकी सुनवाई आवश्यक नही समझी गई। अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गयां। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि रेस्पो0सं0 1 से 4 के पडौस में स्थित है। जिसका राजस्व रेकर्ड नक्शा एवं मौके की स्थिति अलग है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण सहखातेदार थे तथा बंटवाडा की डिक्री वर्तमान में मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में विचाराधीन है, इसलिए पत्थरगढी की कार्यवाही नही की जा सकती है। इसके अलावा बिना तरमीम के पत्थरगढी व नेखमबंदी नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व नक्शे के अनुसार तरमीम किए जाने का आदेश पारित नही किया गया है तथा पत्थरगढी की आड़ में कब्जे में परिवर्तन नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विप्रार्थी सं0 37 व 40 के अलावा शेष अन्य के विरूद्ध एक पक्षकीय कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे रेस्पो0 सं0 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि वे ग्राम मौखाब कला एवं पाबूमाली स्थित उल्लेखित खसरान की विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। मौके पर विवाद की आशंका के दृष्टिगत खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है। विवादित भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में विचाराधीन वाद में किसी प्रकार का स्थगन आदेश व न्यायालय प्रकिया के संबंध में किसी प्रकार का स्थगन नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट्स खारीज फरमाने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 सं0 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थी–रेस्पा0 सं0 1 से 4–खमाणाराम वगैरा के आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा विवादित उल्लेखित खसरान की भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्डस रूल्स, 1957 के नियम 34(3) की प्रकिया अपनाते हुए पक्के नेखम स्थापित करने का आदेश पारित किया गया है, जबकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट–विप्रार्थी एवं रेस्पो0–प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की है, जिसमें विभाजन के वाद को लेकर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत टिनेन्सी डिक्री अपील सं0 3906/2020 एवं 3907/2020 (प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2012 तथा अंतिम निर्णय एवं डिक्री 06.07.2022) विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.06.2022 के अनुसार अपीलांट–विप्रार्थी सं0 40 व 37 द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रकरण में मा0 राजस्व मण्डल द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही है, जो कि विभाजन के मूलवाद का अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन होने से विधिसम्मत नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन सं0 187/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2022 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर